न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 05 / 2021

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
नेहरूराम, तत0 पटवारी, सरेचा, तह0 लूणी हाल– पटवारी दईकडा, तहसील, जोधपुर		जिला कलेक्टर,(भू0अ0) जोधपुर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक भू0अ0 / वि0जॉ0 / 2020 / 2515 दिनांक 28.02.2020 को पारित आदेष जिसके द्वारा अपीलान्ट की दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया।

उपस्थितिः——

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, लूणी उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः ......जुलाई,2021

1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 16 के तहत अपीलान्ट की दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2020 के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 16.07.2020 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर जोधपुर से अपील पर टिप्पणी एवं उनके कार्यालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी, पटवार मण्डल, दईकडा, तहसीलदार जोधपुर के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के पटवारी, सरेचा तहसील लूणी के पद पर कार्यरत रहने के दौरान अपीलार्थी पर जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर के पत्रांक 2048 दिनांक 4.4.2011 के द्वारा कुल 05 आरोप आरोपित किये गये थे कि:——

आरोप पत्र संख्या–1

आप श्री नेहरूराम पटवारी दिनांक 28.6.2008 से पटवार मण्डल सरेचा में कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 23.9.2010 व 24.01.2011 को पटवार बैठक में

तहसील कार्यालय में अनुपस्थित रहकर राज0 सेवा नियम 1957 के नियम 86 का उल्लंघन किया है जिसके लिये आप राजकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही के दोषी हैं।

आरोप पत्र संख्या–2

आप श्री नेहरूराम पटवारी दिनांक 28.7.2010 से पटवार मण्डल फींच में कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 3.2.2011 को ग्राम फींच के ख0सं0 848, 852 व 257 के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर लूणी के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 4/2010 अनवान पकीदेवी बनाम हिम्मताराम वगैराह में मौका कमिश्नर रिपोर्ट तैयार करने बाबत आप पूर्व इतला के मय रिकार्ड उसिथत नहीं हुए। जिसके सम्बन्ध में निरीक्षक (भू0अ0) धुन्धाडा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त दिन अनुपस्थित रहकर आपने उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की जिसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से दोषी है।

आरोप पत्र संख्या–3

आप श्री नेहरूराम पटवारी दिनांक 28.7.2010 से पटवार मण्डल फींच में कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 11.2.2011 को उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा पटवार मण्डल फीच का निरीक्षण प्रोग्राम तामील होने के बावजूद आप मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हुए। जिसके अभाव में पटवार मण्डल का निरीक्षक नहीं किया जा सका। अतः आपने भू राजस्व (भू0अ0) नियम 372 का उल्लंघन किया है जिसके लिये आप कर्तव्य के प्रति उदासीनता के दोषी है।

आरोप पत्र संख्या–4

आप श्री नेहरूराम पटवारी दिनांक 28.7.2010 से पटवार मण्डल फींच में कार्यरत रहने के दौरान ग्राम फींच हनुमाननगर, हमीरनगर की सम्वत 2067 की ढालबांछ व पटवार सरेचा के ग्राम सरेचा, सर, बासनी झूठा की ढालबांछ सम्वत 2067 स्वीकृत नहीं करवाकर आपने भू0अ0 नियम 1957 के नियम 104 का उल्लंघन किया जिसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से पूर्णतया दोषी है।

आरोप पत्र संख्या–5

आप श्री नेहरूराम पटवारी दिनांक 28.6.2008 से आपने पटवार मण्डल फींच में ग्राम फींच हनुमाननगर, हमीरनगर की जमाबन्दी 2066–69 व पटवार सरेचा की सम्वत 2063–66 बासनी झूठा की सम्वत 2066–69 की जमाबन्दियां तैयार नहीं करके आपने राज0 भू–राजस्व (भू0अ0) नियम 1957 के नियम 153 का उल्लंघन किया जिसके लिये कर्तव्य के प्रति लापरवाही व उदासीनता के दोषी है।

4. अपीलान्ट ने कथन किया कि जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा जारी आरोप पत्रों का अपीलान्ट के द्वारा लिखित जवाब पेश किया तथा आरोपित आरोपों को अस्वीकार किया जिस पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सीसीए नियम 16 के तहत प्रकरण की विस्तृत विभागीय जॉच करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। जिनके द्वारा विभागीय जॉच पूर्ण करते हुए अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.8.2019 को जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित की उक्त जॉच रिपोर्ट में भी जॉच अधिकारी के द्वारा मुझ अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों को प्रमाणित होना मान लिया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर उससे सहमत होते हुए मुझ अपीलान्ट को दोषी मानते हुए

अपीलाधीन आदेश के द्वारा दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट तहसील स्तर पर होने वाली प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहता आ रहा है। दिनांक 23.9.10, 24.1.2011 व 7.2.11 को दो पटवार मण्डल सरेचा व फींच का चार्ज होने के कारण एवं दोनों पटवार मण्डलों के बीच दूरी अधिक होने से मीटिंग हेतु रेकर्ड लेने व सरेचा से फींच आने जाने तथाा तहसील मुख्यालय लूणी आने जाने का सीधा यातायात बस इत्यादि का साधन नहीं होने से उक्त मीटिंगों में नियत समय में विलम्ब से पहुंचा लेकिन पूर्ण रूप अनुपस्थित नहीं रहा था।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के पास पटवार मण्डल फींच का अतिरिक्त कार्यभार होने व पटवार सरेचा मुख्यालय से फींच आने जाने का यातायात सुगम नहीं होने से ग्राम फीच में विलम्ब से पहुंचा तब तक भू0अ0निरीक्षक, धुन्धाडा ग्राम फींच से भू0अ0 मुख्यालय धुन्धाडा हेतु निकल चुके थे। इसके अतिरिक्त उनके ग्राम फींच में आपने की पूर्व सूचना/तामीली अपीलान्ट को नहीं होने से विलम्ब हुआ।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के पास दो–दो पटवार मण्डलों का कार्यभार सम्पादित कर रहा था। दिनांक 11.2.2011 को उपखण्ड अधिकारी महोदय के पटवार मण्डल फीच के रखे गये निरीक्षण में भी अपीालन्ट के विलम्ब से पहुचंने का मुख्य कारण यातायात साधनों का अभाव होना रहा है। उपखण्ड अधिकारी के पटवार मण्डल फीच से निकल जाने के पश्चात अपीलान्ट वहां पहुंच गया था।

8. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि सम्वत 2067 की ढालबांछ की दिनांक 15.5.2010 तक सम्पादित होनी थी जबकि अपीलान्ट को पटवार मण्डल फींच का अतिरिक्त चार्ज दिनांक 28.7.2010 को प्राप्त हुआ ऐसे में मुझ अपीलान्ट से पूर्व पदस्थापित पटवारी का ही दायित्व था कि वे अपने समय का कार्य पूर्ण करते। इसमें मुझ अपीलान्ट की कोई लापरवाही नहीं रही। अपीलान्ट ने पटवार मण्डल फीच व सरेचा के समस्त राजस्व ग्रामों की ढाल–बांछे बाद स्वीकृति शत–प्रतिशत वसूली कर उसी वित्तीय वर्ष में जमा करवा दी थी।

9. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को दो पटवार मण्डल का चार्ज दिया हुआ था। अपीलान्ट के उक्त पटवार मण्डल पर पदभार ग्रहण करने के पूर्व की जमाबन्दी विलम्ब से तैयार करने हेतु वो कतई जिम्मेवार नहीं हो सकता इसके अतिरिक्त जमाबन्दी पटवारी एलआरसी के द्वारा तहसील में स्थापित कम्पयूटर पर जमाबन्दी फीडिंग का कार्य प्राथमिकता से नहीं कर पंजीयन का कार्य करने से जमाबन्दी कम्पयूटर प्रिन्ट कर समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जिसके कारण विलग्त हुआ था और यह स्थिति लगभग सभी पटवार मण्डलों की रही थी।

10. अपीलान्ट ने यह भी कथन कियाा कि श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को दण्डित करने का जो आधार यानि जॉच रिपोर्ट से सहमत होकर अपीलान्ट को दोषी मानने का अंकित किया गया है, वह प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों व विधि के विपरित है क्योंकि मुझ अपीलान्ट को उक्त विभागीय जॉच रिपोर्ट की प्रति तक उपलब्ध नहीं करवाई और न ही उस पर अपीलान्ट से कोई

प्रत्युतर/अभ्योदन मांगा गया ऐसे में उपरोक्त विभागीय जॉच कार्यवाही पूर्ण से एकपक्षीय एवं दोषपूर्ण रही है। इसके अतिरिक्त जॉच अधिकारी के द्वारा उनको जॉच अधिकारी नियुक्त होने के लगभग 10 वर्ष पश्चात अपनी जॉच रिपोर्ट जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रेषित की गई थी, इस आधार पर भी जॉच रिपोर्ट को विधि अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

11. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट आरोपों में अंकित दिनांकों को विलम्ब से अवश्य उपस्थित हुआ था, अनुपस्थित कहीं पर नहीं रहा। ऐसे में अनुपस्थित माना जाना न्यायोचित नहीं हो सकता और अपीलान्ट के द्वारा अपने पास धारित पटवार मण्डलों की जमाबन्दियों एवं ढाल–बांछ का कार्य भी पूर्ण करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा जॉच रिपोर्ट से सहमत होते हुए अपीलान्ट को दण्डित किया है, जिला कलेक्टर महोदय ने अपने स्व–विवेक को काम में नहीं लिया और अपीलान्ट का पक्ष जानने की कोशिश की। उसके उपरान्त भी जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो बहाल रखे जाने योग्य नहीं हो सकता है। उक्त आदेश अपीलान्ट पर आनुपातिक दृष्टि से बहुत अधिक दण्डित किया है। जिसे निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट की संचयी प्रभाव से रोके 02 वार्षिक वेतनवृद्धियॉ बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

12. प्रत्युतर में उपस्थित विभागीय पैरोकार ने जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित आदेश को विधि अनुसार पारित किये जाने का कथन किया एवं उसे उचित ठहराते हुए अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

13. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रकट किये गये कथनों पर मनन किया तथा अपील/उपलब्ध दस्तावेजों इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्ट पर आरोपित किये गये आरोप के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युतर में अपीलान्ट के द्वारा उनके अनुपस्थित बताये गये दिवसों में विलम्ब से उपस्थित होना तथा अन्य कार्यस्थलों पर तय समय अनुसार उपस्थित नहीं होना व उसका तत्समय में आवागमन का साधन सुगमता से उपलब्ध नहीं होना दर्शाया है। इसी प्रकार अन्य आरोप अनुसार पूर्व के पदस्थापित पटवारी के पटवार मण्डल के अतिरिक्त चार्ज दिये जाने के दौरान पूर्व समय की ढालबांछ एव जमाबन्दी का सम्पादन निर्धारित समय तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में अपीलान्ट को दोषी मान लिया गया है। इन सभी ऑब्जर्वेशनस को न तो जॉच अधिकारी के द्वारा कन्सीडर किया गया है और न ही सम्बन्धित तहसीलदार के द्वारा उस पर विपरित टिप्पणी प्रकट की गई है और न ही उक्त दिवसों की अनुपस्थिति बाबत सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली में है। अपीलान्ट कार्मिक को आरोपित आरोप में दर्शाये गये उक्त कार्यदिवसों में विलम्ब से उपस्थित होना अवश्य माना जा सकता है तथा अपीलान्ट के द्वारा अपने कार्यकाल के सम्वत की ढाल–बांछ कार्य व जमाबन्दी कार्य में थोडा विलम्ब किया गया है।

14. इसके अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की दृष्टि से भी अपीलान्ट कार्मिक के विरूद्ध सम्पादित की गई विभागीय जॉच के प्रतिवेदन की एक प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध करवाई जाकर उनसे प्रत्युतर/अभ्यावेदन लिया जाना भी पत्रावली में मौजूद नहीं है। जिससे विभागीय जॉच कार्यवाही/अनुशासनात्मक कार्यवाही को

नियमों के तहत होना उचित नहीं माना जा सकता है और जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा भी अपने अपीलाधीन आदेश में मात्र जॉच अधिकारी की जॉच रिपोर्ट से सहमत होते हुए अपीलान्ट को दोषी मान लिया है, उन्हें अपनी ओर से भी किसी प्रकार की टिप्पणी/न्यायिक दृष्टिगत विश्लेषण करते हुए आदेश जारी किया जाना चाहिये था। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर मनन करने, उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त इस निश्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्ट पटवारी को अपीलाधीन आदेश के द्वारा उनकी 02 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का जो दण्ड दिया गया है वो बहुत अधिक प्रतीत होता है जिसे यथावत बहाल रखा जाना न्यायोचित एवं विधि अनुकूल नहीं है।

15. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2020 को निरस्त करते हुए इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि अपीलान्ट की संचयी प्रभाव से रोकी गई 02 वार्षिक वेतनवृद्धि के स्थान पर अपीलान्ट की 02 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है। निर्णय आज दिनांक .07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर